रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218991
CG-DL-E-01042020-218991

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] **नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942**
No. 86] **NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942**

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

विषय: संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

सं. 36(7)/2018--आईपीएचडब्ल्यू (खंड-II).— 1.1 देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का विनिर्माण आधार इस तरह के सामानों की मांग की तुलना में काफी अपर्याप्त है। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां उत्पाद भारत में विनिर्मित होते हैं, घरेलू मूल्य संवर्धन की सीमा तुलनात्मक रूप से कम है। उद्योगों की वृद्धि और क्षेत्रों में इसके फैलाव के लिए विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की कमी विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने के रास्ते में महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रमुख बाधा है । देश में औद्योगिकीकरण और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना अक्टूबर, 2012 में अधिसूचित की। योजना अक्टूबर, 2017 से आवेदनों की प्राप्ति के लिए बंद कर दी गई थी। योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली, डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी योजना को जारी रखने की आवश्यकता के लिए योजना का प्रभाव मूल्यांकन अंतर-अनुशासनात्मक प्रभाव मूल्यांकन समिति और ईएमसी योजना के तृतीय पक्षकार की एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया गया। उद्योग सहित सभी हितधारकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया और उनके ईएमसी में विनिर्माण प्रचालनों की स्थापना करने के इरादे के

आधार पर यह सिफारिश की गई है कि योजना ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के साथ साथ इसकी मूल्य श्रृंखला के लिए आधार तैयार करने के लिए समर्थकारी कारक के रूप में काम किया है, इसलिए ईएमसी के भीतर अपना उत्पादन शुरू करने के लिए वैश्विक और घरेलू दोनों निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संशोधित रूप में इसे जारी रखने की आवश्यकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक एकीकरण सुनिश्चित होगा । इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसलिए, "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" पहलों में की गई परिकल्पना के अनुसार भारत को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण हब बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के पूरक के रूप में एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना शुरू करने का प्रस्तावकरता है।

1.2 ये ईएमसी ईएसडीएम क्षेत्र के विकास में सहायता, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद, नवाचार को बढ़ावा और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर राजस्व में वृद्धि करके क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को उत्प्रेरित करेंगे।

2. संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना

2.1 संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के तहत; इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ईएमसी परियोजनाओं में सामान्य सुविधाओं और सहूलियतों के अवसंरचना सृजित करने और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के रूप में औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/क्षेत्रों में अवसंरचना को उन्नत करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी। कार्यक्षेत्र में उन घटकों को शामिल किया जाएगा, जो आवश्यकता पर आधारित हैं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाने वाली व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के माध्यम से चिह्नित किए गए हों।

2.2 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के उद्देश्य के लिए:

2.2.1 **ईएमसी परियोजना:** एक अविकसित/अल्प-विकसित भौगोलिक क्षेत्र होगा, अधिमानतः सन्निहित, जहां ईएसडीएम इकाइयों के लिए बुनियादी अवसंरचना, सुविधाओं और अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

2.2.2 **सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी)**: इस क्षेत्र में विद्यमान ईएसडीएम यूनिटों की संख्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए और ध्यान सामान्य तकनीकी अवसंरचना के उन्नयन और मौजूदा ईएमसी, औद्योगिक संपदाओं/ क्षेत्रों/ पार्कों में ईएसडीएम इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करने पर होना चाहिए।

2.2.3 **प्रमुख यूनिट (यूनिटें):** ईएमसी में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित ईएमसी परियोजना में बिक्रीयोग्य/पट्टायोग्य भूमि क्षेत्र के न्यूनतम 20% की खरीद और 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कंपनी (कंपनियां) के रूप में होगी/होंगी।

2.2.4 **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)** : यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय (सोसाइटी या पीएसयू) के रूप में एक एजेंसी होगी । ऐसी एजेंसी परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपे गए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। एमईआईटीवाई द्वारा जारी किए जाने वाले योजना संबंधी दिशानिर्देशों में

परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों का विस्तृत रूप में उल्लेख किया जाएगा।

2.2.5 **परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)** : यह पीएमए को परियोजना आवेदन प्रस्तुत करने वाली एजेंसी होगी। योजना के तहत आवेदन राज्य सरकार या राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एसपीएसयू) या औद्योगिक गलियारा विकास निगम (आईसीडीसी) जैसे डीएमआईसीडीसी, आदि (जैसा भी मामला हो) द्वारा किया जा सकता है। पीएमए को आवेदन प्रस्तुत करने वाली एजेंसी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2.2.6 **परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी)** : यह योजना के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन (आवेदनों) पर विचार करने के लिए एक ऐसे अधिकारी, जो एमईआईटीवाई में संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो, की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा गठित की गई एक समिति होगी। पीआरसी में अन्य मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीआरसी ईएमसी 2.0 योजना के तहत आवेदनों के अनुमोदन/अस्वीकृति के लिए पीएमए को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। पीआरसी अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। पीआरसी की बैठक समय-समय पर और आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जाएगी। पीआरसी के विस्तृत संविधान, कामकाज और जिम्मेदारियों को योजना संबंधी दिशानिर्देशों में विस्तार से दिया जाएगा ।

2.2.7 **शाषी परिषद् (जीसी)** : यह सचिव, एमईआईटीवाई की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा गठित की गई एक समिति होगी। जीसी में सरकार और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल होंगे । जीसी समय-समय पर योजना और उसके बाद की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी । योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जीसी समय-समय पर योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए (यदि आवश्यक हो) प्राधिकृत होगी। योजना के दिशानिर्देशों में जीसी के विस्तृत संविधान, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों का उल्लेख विस्तार से किया जाएगा।

2.3 **आवेदन का तरीका और पात्रता मानदंड** : ईएमसी 2.0 योजना के तहत आवेदन राज्य सरकार या राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एसपीएसयू) या औद्योगिक गलियारा विकास निगम (आईसीडीसी) जैसे डीएमआईसीडीसी, आदि (जैसा भी मामला हो) द्वारा पीएमए को प्रस्तुत किया जाएगा; जिसमें पीआईए और संबंधित एंकर यूनिट (यूनिटों) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के साथ साथ अन्य विवरण दिए जाएंगे। सीपीएसयू या एसपीएसयू के मामले में आवेदन, संबंधित केंद्र सरकार या राज्य सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग), जैसा भी मामला हो, की सिफारिशों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

ईएमसी 2.0 योजना के तहत आवेदन में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाना चाहिए:

i. ईएमसी परियोजनाओं के लिए एंकर यूनिट (यूनिटों) या उद्योग से कम से कम 20% बिक्री योग्य/पट्टे योग्य भूमि क्षेत्र लेने (खरीद कर या पट्टे पर) और न्यूनतम 300 करोड़ रु. का निवेश करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

ii. भूमि पार्सल (भू-खंड) 200 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए।

iii. सभी पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक भूमि पार्सल 100 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए एंकर यूनिट (यूनिटों) या उद्योग से न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता 150 करोड़ रुपए होगी।

iv. प्रस्तावित भूमि पार्सल पीआईए के कब्जे में होना चाहिए और अधिमानतः सन्निहित (आस-पास) ही होना चाहिए।

v. ½ किमी के दायरे में अधिकतम दो भूमि पार्सल को सन्निहित माना जाएगा। सड़क के पार भूमि पार्सल को भी सन्निहित माना जाएगा।

vi. यदि ईएमसी योजना के अंतर्गत किसी भी मौजूदा क्लस्टर को विस्तार के लिए शामिल किया जाता है और समीपवर्ती भूमि को ईएमसी 2.0 योजना के तहत विकसित करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो मौजूदा विनिर्माण इकाई वाली भूमि को भी भूमि पार्सल का हिस्सा माना जाएगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि मौजूदा ईएमसी में, विनिर्माण इकाइयों को 80% बिक्री योग्य/पट्टे योग्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए और कम से कम 50% यूनिटें, जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, के द्वारा उत्पादन गतिविधि शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे मामलों में भूमि आवश्यकताओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

क) ऐसे भूमि पार्सल के कम से कम 100 एकड़ भूमि, जो मौजूदा ईएमसी के आस-पास है, पर योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता की पूर्ति हेतु विचार किया जाएगा।

ख) सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कम से कम 50 एकड़ ऐसे भूमि पार्सल जो मौजूदा ईएमसी से सटे हुए हैं, पर योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता को पूरा करने पर विचार किया जाएगा।

ऐसे मामलों में, ईएमसी 2.0 योजना के तहत केवल प्रस्तावित नए क्षेत्र को वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना जाएगा।

vii. प्रस्तावित भूमि पार्सल गैर-प्रवर्धित और औद्योगिक उपयोग के लिए होना चाहिए।

viii. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए वहां कम से कम ऐसी 5 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयाँ होनी चाहिए जिनकी पहचान सुविधा के उपयोगकर्ताओं के रूप में की गई हो।

ix. पीआईए ईएमसी के भीतर कम से कम 10% बिक्री योग्य/पट्टे योग्य भूमि पर रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड्स / प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराएगा।

3. **वित्तीय सहायता:** आम सुविधाओं और संसाधनों के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और सामान्य सुविधा केंद्रों में वित्तीय सहायता इस प्रकार प्रदान की जाएगी :

3.1 **ईएमसी परियोजना के लिए;** वित्तीय सहायता प्रत्येक 100 एकड़ भूमि के लिए 70 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन परियोजना लागत के 50% तक प्रतिबंधित होगी। बड़े क्षेत्रों के लिए प्रो-राटा सीलिंग लागू होगी, लेकिन यह प्रति परियोजना 350 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। परियोजना लागत के न्यूनतम 50% के योगदान के साथ शेष परियोजना लागत राज्य सरकार या राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एसपीएसयू) या औद्योगिक गलियारा विकास निगम (आईसीडीसी) जैसे कि डीएमआईसीडीसी, आदि (जैसा भी मामला हो) द्वारा वहन की जाएगी।

3.2 **सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के लिए;** वित्तीय सहायता 75 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन परियोजना लागत के 75% तक प्रतिबंधित होगी। परियोजना लागत के न्यूनतम 25% के योगदान के साथ शेष परियोजना लागत राज्य सरकार या राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एसपीएसयू) या औद्योगिक गलियारा विकास निगम (आईसीडीसी) जैसे कि डीएमआईसीडीसी, आदि (जैसा भी मामला हो*)* द्वारा वहन की जाएगी।

4. ईएमसी 2.0 योजना के तहत वित्तीय सहायता के सभी आवेदनों पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा गठित एक परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) द्वारा विचार किया जाएगा । पीआरसी की अध्यक्षता एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो एमईआईटीवाई में संयुक्त सचिव के पद से नीचे वाले पद पर नहीं होगा और इसमें अन्य मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पीआरसी ईएमसी 2.0 योजना के तहत आवेदनों के अनुमोदन/अस्वीकृति के लिए पीएमए को सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। पीआरसी अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। पीआरसी के विस्तृत संविधान, कामकाज और जिम्मेदारियों का उल्लेख योजना संबंधी दिशानिर्देशों में विस्तार से किया जाएगा ।

5. ईएमसी 2.0 योजना के तहत पात्र गतिविधियों की उदाहरणात्मक सूची संलग्न है।

6. ईएमसी परियोजना की तैयारी, मूल्यांकन और धनराशि जारी किया जाना :

6.1 पीआईए द्वारा पीएमए को प्रस्तुत किए गए परियोजना आवेदन में विशिष्ट ईएमसी परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं का विवरण शामिल होगा। परियोजना के आवेदन में ईएमसी की विकास संभावनाओं पर डेटा, सर्वेक्षण, अनुमान और व्यवहार्यता भी शामिल होंगे। पीआईए आवश्यक होने पर एंकर इकाई को सक्रिय रूप से शामिल कर सकती है और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों आदि से समर्थन प्राप्त कर सकती है।

6.2 पीएमए पेशेवर परामर्श एजेंसी या वित्तीय संस्थान की मदद से आवेदनों का मूल्यांकन करेगा [जैसी भी आवश्यकता हो]। पीएमए परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। पीआरसी परियोजनाओं के मंजूरी/ अस्वीकृति के लिए पीएमए को अपनी सिफारिशें देगा।

6.3 पीआरसी की सिफारिशों के आधार पर, पीएमए परियोजनाओं को स्वीकृति को जारी करने के लिए वित्तीय शक्ति नियमों (डीएफपीआर) के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। पीएमए के कामकाज और जिम्मेदारियों का उल्लेख योजना संबंधी दिशानिर्देशों में विस्तार से किया जाएगा ।

6.4 ईएमसी का चयन/ स्थान का निर्धारण एंकर यूनिट (यूनिटों) / उद्योग के परामर्श से पीआईए द्वारा किया जाएगा।

7. निधियों का जारी किया जाना : परियोजना विशेष के लिए पैरी-पासु आधार पर निधियां जारी की जाएंगी और इन्हें निम्नलिखित तरीके से तीन (3) किस्तों में जारी किया जाना प्रस्तावित है:

7.1. अग्रिम के रूप में परियोजना की स्वीकृति पर 30% की पहली किस्त जारी की जाएगी।

7.2. पहली किस्त के उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने और एंकर यूनिट को भूमि के आवंटन के बाद 40% की दूसरी किस्त जारी की जाएगी।

7.3. परियोजना के पूरा होने के बाद 30% की तीसरी किस्त जारी की जाएगी।

7.4. पीआईए द्वारा निर्धारित खाते में पैरी-पासु अंशदान जमा कर देने या संबंधित राज्य सरकार या मंत्रालयों/विभागों (जैसा भी मामला हो) के द्वारा पैरी-पासु अंशदान के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन या आदेश जारी कर देने के बाद पीएमए के माध्यम से पीआईए को धनराशि जारी की जाएगी। पीआईए के आंतरिक संचयन अथवा बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) से वित्तीय सहायता के मामले में निधियों को निर्धारित खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

8. **कार्यान्वयन तंत्र** :

8.1 यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत किसी स्वायत्त निकाय (सोसायटी या पीएसयू) के रूप में किसी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी । इस तरह की एजेंसी परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और सचिवीय, प्रबंधकीय और क्रियान्वयन सहायता प्रदान करने और एमईआईटीवाई द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। पीएमए की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों का उल्लेख एमईआईटीवाई द्वारा जारी किए जाने वाले योजना संबंधी दिशानिर्देशों में विस्तृत रूप से किया जाएगा।

8.2 एमईआईटीवाई योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान करेगा । पीएमए नियमित रूप से परियोजना-वार आवश्यकताओं के विवरण के साथ एमईआईटीवाई को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगी। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पीएमए द्वारा जारी की जाएगी।

9. **योजना / परियोजना की निगरानी:** योजना की प्रगति की समीक्षा सचिव, एमईआईटीवाई की अध्यक्षता में एमईआईटीवाई द्वारा गठित की जाने वाली एक शासी परिषद् (जीसी) के माध्यम से की जाएगी। जीसी में सरकार और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल होंगे । जीसी समय-समय पर योजना और उसके बाद की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी । योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जीसी समय-समय पर योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए प्राधिकृत होगी। जीसी के विस्तृत संविधान, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों का उल्लेख योजना के दिशानिर्देशों में विस्तार से किया जाएगा।

10. **योजना अवधि / समय-सीमा** : योजना इसकी अधिसूचना की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए आवेदन प्राप्ति हेतु खुली रहेगी। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियों के संवितरण हेतु पांच (5) वर्ष की आगे की अवधि भी उपलब्ध होगी। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

11. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी करेगा । योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करने का प्राधिकार एमईआईटीवाई द्वारा गठित की जाने वाली शासी परिषद् के पास रहेगा।

12. एमईआईटीवाई समय-समय पर ईएमसी 2.0 योजना के तहत योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा।

13. अधिसूचना की तिथि से तीन (3) वर्ष के बाद एमईआईटीवाई योजना का मध्यावधि करेगा और योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक किसी भी संशोधन/आशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । यह योजना का मध्यावधि मूल्यांकन करने और योजना अवधि के अंत में एक अन्य मूल्यांकन करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएं लेगा ।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

अनुबंध

ईएमसी 2.0 योजना के तहत पात्र गतिविधियों की एक उदाहरणात्मक सूची

क. महत्वपूर्ण सेवाएँ

i. चाहरदीवारी

ii. आंतरिक सड़कें

iii. वर्षा जल निकास के लिए नालियां

iv. विद्युत उप-स्टेशन/वितरण नेटवर्क

ख. आवश्यक सेवाएँ

i. अपशिष्ट निपटान/पुनर्चक्रण

ii. जल पुनर्चक्रण/जल उपचार संयंत्र

iii. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

iv. सीवेज लाइनें

v. ई-कचरा प्रबंधन

vi. सड़क प्रकाश व्यवस्था

vii. बैकअप पावर प्लांट

viii. भण्डारण

ix. रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड्स / प्लग और प्ले सुविधा

x. अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं

ग. वांछनीय सेवाएं :

1. कल्याणकारी सेवाएं

i. कर्मचारी छात्रावास

ii. अस्पताल और ईएसआईसी

iii. मनोरंजन की सुविधा/ खेल का मैदान

iv. क्रेच/नर्सरी

v. शिक्षण सुविधाएं

vi. बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ।

2. सहायता सेवाएँ

i. उत्कृष्टता केंद्र (अनुसंधान एवं विकास, ऊष्मायन और परामर्श सेवाएं)

ii. कौशल विकास केंद्र/प्रशिक्षण सुविधा

iii. सभागार और सम्मेलन सुविधा

iv. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईटी और दूरसंचार अवसंरचना

v. व्यापार, ट्रेड और कन्वेंशन सेंटर

3. विनिर्माण समर्थन

i. टूल रूम

ii. सीएडी/सीएएम डिजाइन हाउस

iii. प्लास्टिक मोल्डिंग/कैबिनेट विनिर्माण

iv. शीट मैटल स्टैम्पिंग

v. पैकेजिंग/इपॉक्सी आपूर्तिकर्ता

vi. परीक्षण और प्रमाणन सुविधा

vii. संघटक परीक्षण:

क) सुरक्षा, जीवन परीक्षण, विश्वसनीयता/पर्यावरण, विद्युत और यांत्रिक गुण

ख) आरओएचएस परीक्षण

ग) ईएमआई/ईएमसी परीक्षण

घ) सीआरओ अनुपालन

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April , 2020

Subject: Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme

1. **Background and Objective:**

No. 36(7)/2018-IPHW (Vol.II).—1.1 Manufacturing base of electronics products in the country is grossly inadequate in comparison to demand of such goods. Even in cases where products are manufactured in India, the extent of domestic value addition is low. One of the critical constraints in the way of attracting investments for manufacturing is lack of availability of reliable and quality infrastructure for growth of industries and its dispersal across the regions. With a view to promote industrialization and growth of electronics manufacturing in the country; the Government notified Electronic Manufacturing Clusters (EMC) Scheme in October, 2012 to provide support for creation of world-class infrastructure for attracting investments in Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) sector. The Scheme was closed for receipt of applications from October, 2017. To analyze the impact of the Scheme and need for continuation of such Scheme for growth of Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) sector; an evaluation of the Scheme was conducted through an Inter-disciplinary Impact Assessment Committee and an independent agency for Third Party analysis of EMC Scheme. Based on the encouraging response of all stakeholders including the industry and their intent to set up manufacturing operations in EMCs, it has been recommended that the Scheme acted as enabler to create foundation for electronics manufacturing along with its value chain, therefore, needs to be continued in modified form to attract both global and domestic investors to commence production within such EMCs which in turn will ensure greater integration with the global value chains in electronics manufacturing sector. Ministry of Electronics and Information Technology, therefore, proposes to introduce a Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme to compliment the efforts put-in by the Government to make India an Electronics Manufacturing Hub as envisaged under “Digital India” and “Make in India” initiatives.

1.2 These EMCs would aid the growth of the ESDM sector, help development of entrepreneurial ecosystem, drive innovation and catalyze the economic growth of the region by attracting investments in the sector, increasing employment opportunities and tax revenues.

2. Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme

2.1 Under Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme; Electronics Manufacturing Clusters would be established to create infrastructure with common facilities and amenities in EMC projects and upgrade the infrastructure in Industrial Estates / Parks / Areas as Common Facility Centre (CFC) for attracting investment in electronics manufacturing. The scope will cover components that are need based and identified through a feasibility study report to be prepared by the Project Implementing Agency.

2.2 The financial assistance will be given for setting up both Electronics Manufacturing Clusters (EMCs) and Common Facility Centers (CFCs). For the purpose of this Scheme:

2.2.1 **EMC Project** would be an undeveloped / underdeveloped geographical area, preferably contiguous, where the focus is on development of basic infrastructure, amenities and other common facilities for the ESDM units.

2.2.2 **Common Facility Centre (CFC)**: There should be significant number of existing ESDM units located in the area and the focus is on upgrading common technical infrastructure and providing common facilities for the ESDM units in existing EMCs, Industrial Estates / Parks / Areas.

2.2.3 **Anchor Unit (s)** shall be electronics manufacturing company (ies) with a commitment of purchasing minimum 20% of the saleable / leasable land area in the proposed EMC project for setting up electronics manufacturing facility in the EMC and will give a commitment of an investment of Rs. 300 crore or above.

2.2.4 **Project Management Agency (PMA)**: Shall be an agency in form of an autonomous body (Society or PSU) under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India. Such agency will act as Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. The functioning and responsibilities of PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines to be issued by MeitY separately.

2.2.5 **Project Implementing Agency (PIA)**: Shall be an agency submitting the project application to PMA. The applications under the Scheme can be made by State Government or State Implementing Agency (SIA) or Central Public Sector Unit (CPSU) or State Public Sector Unit (SPSU) or Industrial Corridor Development Corporation (ICDC) such as DMICDC, etc. *(as the case may be).* The agency submitting the application to PMA will be referred as Project Implementing Agency (PIA).

2.2.6 **Project Review Committee (PRC)**: Shall be a Committee constituted by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) under the chairmanship of an officer not below the rank of Joint Secretary in MeitY for consideration of the application(s) for accord of approval under the Scheme. PRC will comprise of representatives from other Ministries / Departments and organizations. The PRC will make recommendations to PMA for approval / rejection of the applications under EMC 2.0 Scheme. PRC will also review the progress of the approved projects. Meeting of the PRC will be convened from time to time and as and when required. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PRC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

2.2.7 **Governing Council (GC)**: Shall be a committee to be constituted by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) under the Chairmanship of Secretary, MeitY. GC will comprise of experts from Government and Industry. GC will periodically review the progress of the Scheme and the projects thereof. GC will be the authority to make improvements / modifications *(if required)* in the Scheme Guidelines from time to time for successful implementation of the Scheme. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the GC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

2.3 **Mode of application and eligibility criteria**: The application under EMC 2.0 Scheme will be submitted by the State Government or State Implementing Agency (SIA) or Central Public Sector Unit (CPSU) or State Public Sector Unit (SPSU) or Industrial Corridor Development Corporation (ICDC) such as DMICDC, etc. *(as the case may be)* to PMA along with the details of the Anchor unit(s) clearly mentioning the roles and responsibilities of PIA and the relevant Anchor Unit(s). In case of CPSU or SPSU; the application would be submitted along with recommendations of the concerned Central Government or State Government (Administrative Ministry or Department) *as the case may be.*

Application under EMC 2.0 Scheme should comply with the following:

i. For EMC Projects, there should be a commitment from Anchor Unit(s) or industry for taking (purchase or lease) atleast 20% of the saleable / leasable land area and a minimum investment commitment of Rs.300 crore;

ii. The land parcel should not be less than 200 acres;

iii. The land parcel required in all North-Eastern States, Hill States and Union Territories (UTs) should not be less than 100 acres. Minimum investment commitment from Anchor Unit(s) or industry for projects in these regions will be Rs.150 crore.

iv. The proposed land parcel should be in possession of the PIA and preferably contiguous.

v. Maximum of two land parcels within a radius of ½ Km will be considered as contiguous. Land parcels across the road will also be considered as contiguous.

vi. In case, any existing cluster under the EMC Scheme is taken up for expansion and adjoining land is proposed to be developed under EMC 2.0 Scheme; the land with the existing manufacturing unit will also be considered as part of the land parcel. This will be subject to the condition that in the existing EMC, 80% of saleable / leasable land should have been allotted to the manufacturing units and atleast 50% of units who have been allotted land should have started production activity. In such cases, following conditions on land requirements will be applicable:

a) Atleast 100 acres of such land parcel that is adjoining the existing EMC will be considered for meeting the minimum land requirement for making application under the Scheme.

b) For all North-Eastern States, Hill States and UTs, atleast 50 acres of such land parcel that is adjoining the existing EMC will be considered for meeting the minimum land requirement for making application under the Scheme.

In such cases, only the new area proposed under EMC 2.0 Scheme will be considered eligible for financial assistance.

vii. The proposed land parcel should be non-encumbered and for Industrial use.

viii. For Common Facility Centre (CFC), there should be atleast 5 electronics manufacturing units identified as users of the facility.

ix. PIA will provide Ready Built Factory (RBF) Sheds / Plug & Play facility in atleast 10% of the saleable / leasable land within the EMC.

3. Financial Assistance: The financial assistance will be given for creation of world class infrastructure along with common facilities and amenities. The financial assistance will be provided for Electronics Manufacturing Cluster (EMC) Projects and Common Facility Centers as follows:

3.1 **For EMC Project;** financial assistance will be restricted to 50% of the project cost subject to a ceiling of Rs. 70 crore for every 100 acres of land. For larger areas, pro-rata ceiling would apply but not exceeding Rs.350 crore per project. The remaining project cost will be borne by State Government or State Implementing Agency (SIA) or Central Public Sector Unit (CPSU) or State Public Sector Unit (SPSU) or Industrial Corridor Development Corporation (ICDC) such as DMICDC, etc. *(as the case may be)* with a minimum contribution of 50% of the project cost.

3.2 **For Common Facility Centers (CFCs);** financial assistance will be restricted to 75% of the project cost subject to a ceiling of Rs.75 crore. The remaining project cost will be borne by State Government or State Implementing Agency (SIA) or Central Public Sector Unit (CPSU) or State Public Sector Unit (SPSU) or Industrial Corridor Development Corporation (ICDC) such as DMICDC, etc. *(as the case may be)* with a minimum contribution of 25% of the project cost.

4. All applications for financial assistance under EMC 2.0 Scheme shall be considered by a Project Review Committee (PRC) to be constituted by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). PRC will be chaired by an officer not below the rank of Joint Secretary in MeitY and will comprise of representatives from other Ministries / Departments and organizations. The PRC will make recommendations to PMA for approval/ rejection of the applications under EMC 2.0 Scheme. PRC will also review the progress of the approved projects. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PRC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

5. The illustrative list of eligible activities under the EMC 2.0 Scheme is annexed.

6. EMC Project Preparation, Appraisal and Release of Funds:

6.1 The project application submitted by PIA to PMA shall include details of infrastructure requirements and common facilities for the specific EMC Project. The project application shall also include data, surveys, projections and feasibility on growth potential of the EMC. The PIA may actively involve Anchor Unit, support from institutions like R&D institutions, financial institutions, State Governments, wherever necessary.

6.2 PMA will appraise the application(s) with the help of professional consulting agency (ies) or financial institution(s) *[as deemed necessary]*. PMA will submit the appraisal report of the projects for consideration of the Project Review Committee. PRC will make its recommendations to the PMA for accord of approval / rejection of the projects.

6.3 Based on the recommendations of the PRC, PMA will obtain necessary approvals from the competent authority in accordance with Delegation of Financial Power Rules (DFPR) for issuing the approval(s) to the project(s). The functioning and responsibilities of PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines.

6.4 The selection / location of the EMC shall be taken up by the PIA in consultation with the Anchor Unit(s) / Industry.

7. Release of Funds: The release of funds will be project specific and on *pari-passu* basis and is proposed to be released in three (3) installments in the following manner:

7.1. First installment of 30% will be released on approval of the project as an advance.

7.2. Second installment of 40% will be released after utilization of the first installment and achievement of specific milestones related to infrastructure development and allotment of land to Anchor Unit.

7.3. Third installment of 30% will be released after completion of the project.

7.4. The funds will be released to PIA through PMA once PIA has deposited *pari-passu* contribution in the designated account or the concerned State Government or Ministries / Departments *(as the case may be)* has issued a sanction or order for transfer of *pari-passu* contribution. In case of internal accruals of PIA or financial assistance from Bank or Financial Institution (FI), the funds should have been transferred in the designated account.

8. Implementation mechanism:

8.1 The Scheme will be implemented through an agency in form of an autonomous body (Society or PSU) under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India. Such agency will act as Project Management Agency (PMA) and will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. The functioning and responsibilities of PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines to be issued by MeitY separately.

8.2 MeitY shall make budgetary provisions for approved projects under the Scheme. PMA will submit budgetary requirement to MeitY on regular basis along with details of the project-wise requirements. Financial assistance will be released to PIA by PMA for approved projects.

9. Scheme / Project Monitoring: The progress of the Scheme will be reviewed through a Governing Council (GC) to be constituted by MeitY under the chairmanship of Secretary MeitY. GC will comprise of experts from Government and Industry. GC will periodically review the progress of the Scheme and the projects thereof. GC will be authorized to carry out amendments in the Scheme Guidelines from time to time for successful implementation of the Scheme. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the GC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

10. Scheme duration / timelines: The Scheme will be open for receipt of applications for a period of three (3) years from the date of notification. Further period of five (5) years shall be available for disbursement of funds to the approved projects. The applications received under the Scheme will be appraised on an ongoing basis.

11. The Ministry of Electronics and Information Technology will issue a set of Guidelines for implementation of the Scheme. The authority for amendment of the Scheme Guidelines shall rest with the Governing Council of the Scheme to be set up by MeitY.

12. MeitY will periodically monitor and review the progress of the Scheme and the projects under EMC 2.0 Scheme.

13. MeitY will carry out a mid-term evaluation of the Scheme after three (3) years from the date of notification and will propose any modifications / amendments, if required, for successful implementation of the Scheme. It will

engage the services of an independent agency to carry out such mid-term evaluation and another evaluation after end of the Scheme period.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

ANNEXURE

An illustrative list of eligible activities under EMC 2.0 Scheme

A. Vital Services

i. Boundary Wall
ii. Internal Roads
iii. Storm Water Drains
iv. Electric Sub-Station/Distribution Network

B. Essential Services

i. Waste Disposal/Recycling
ii. Water Recycling/Water Treatment Plant
iii. Effluent Treatment Plant
iv. Sewage Lines
v. e-waste Management
vi. Street Lighting
vii. Backup Power Plant
viii. Warehousing
ix. Ready Built Factory sheds (RBF)/Plug & Play Facility
x. Fire Fighting and Safety services

C. Desirable Services:

1. Welfare Services

i. Employee Hostel
ii. Hospital and ESIC
iii. Recreational Facility/Playground
iv. Creche/Nursery
v. Educational Facilities
vi. Banking & Financial Services.

2. Support Services

i. Centre of Excellence (R&D, Incubation and Consultancy Services)
ii. Skill development Centre/Training Facility
iii. Auditorium & Conference Facility
iv. Video Conferencing, IT & Telecom Infrastructure
v. Business, Trade &Convention Centre

3. Manufacturing Support

i. Tool Room
ii. CAD/CAM Design House
iii. Plastic Molding/Cabinet Manufacturing

iv. Sheet Metal Stamping

v. Packaging/Epoxy Suppliers

vi. Testing and Certification Facility

vii. Component Testing:

a) Safety, Life Test, Reliability/Environment, Electrical & mechanical properties

b) RoHS Testing

c) EMI/EMC Testing

d) CRO compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.01 19:07:26 +05'30'